FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पटेलनगर

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
मोहनराम		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–157/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.11.2021	प्रार्थी मोहनराम पुत्र आसूराम जाति लौहार निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प पटेलनगर में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 570/1 रकबा 1.9497 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की आयी हुयी है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता आशूराम पूत्र मोडाराम लौहार की थी। आसूराम का देहान्त 3 वर्ष पूर्व में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया उसमें प्रार्थी का नाम मोहनराम के बजाय पपूराम लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहनराम है तथा सरकारी दस्तावेज भी मोहनराम के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में पपूराम पुत्र आसूराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र आसूराम की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी [illegible] ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज [illegible]ाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी मोहनराम का [illegible] कार्ड, पैनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र आदि पेश किये है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 1 सम्पतराज पु[illegible]ूराराम जाति सूथार निवासी हरियाढाणा के बयान कलमबद्ध कराये गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:26 IST
Reason: SelfAttested

	आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में पपूराम लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम मोहनराम के बजाय पपूराम दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 570/1 रकबा 1.9497 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में पपूराम पुत्र आसूराम के स्थान पर **मोहनराम पुत्र आसूराम** जाति लौहार निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी को घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम पटेलनगर में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प पटेलनगर

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
मोहनराम पुत्र आसूराम जाति लौहार निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा		राजस्थान सरकार तहसीलदार बिलाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:26 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 88 रा[illegible]न [illegible]सी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 157/2021

निर्णय **दिनांक** :– 18.11.. 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 570/1 रकबा 1.9497 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में पपूराम पुत्र आसूराम के स्थान पर **मोहनराम पुत्र आसूराम** जाति लौहार निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.11.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:02:26 IST
Reason: SelfAttested